रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234207 CG-DL-E-15032022-234207

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 199] No. 199] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2022/फाल्गुन 24, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2022/PHALGUNA 24, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2022

सा.का.नि. 202(अ).—राष्ट्रपित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रेल, यांत्रिक इंजीनियरी और परिवहन(विद्युत) विभाग समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 1979 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, भारतीय रेल के यांत्रिक इंजीनियरी विभाग में सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल, सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय और निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में) समूह 'ख' राजपत्रित भर्ती नियम, 2022 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कॉलम (2) से कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं आदि– उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से कॉलम (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.** कोई भी व्यक्ति–

1770 GI/2022 (1)

- (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति-जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वहां उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 6. व्यावृत्ति–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक कार्यपालक यांत्रिक इंजीनियर (क्षेत्रीय मुख्यालय तथा निर्माण कार्यालय में) या सहायक मंडल यांत्रिक इंजीनियर (मंडलों में)।	518* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	रेल सेवा समूह 'ख'राजपत्रित, अननुसचिवीय।	स्तर-8 (47,600- 1,51,100 रु.)	चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धित, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धितयों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हो, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा। (i)70% चयन के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा; और (ii)30% सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से	(क) 70% रिक्तियां यांत्रिक इंजीनियरी विभाग के अननुसचिवीय समूह 'ग' कर्मचारियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) तथा उससे ऊपर के स्तर में कम से कम तीन वर्ष की नियमित सेवा वेतन मैट्रिक्स के स्तर-6 (रु. 35,400-1,12,400) और उससे ऊपर में की हो, द्वारा चयन के माध्यम से प्रोन्नति (जिसमें	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या मुख्य यांत्रिक इंजीनियर - अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी न	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

प्रोर्न्ना	सेवा सम्मि टिप्पण संबंध पात्रता लिए उनके विचार कि उर पात्रता सेवा वे इनमें उन्होंने सहित, सेवा प उच्चतर परिवी कर ली	0% रिक्तियां यांत्रिक इंजीनियरी	सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 से ऊपर में दिए गए अधिकारी के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी - सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पृष्टि समिति (पृष्टि पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर - अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी	
	पात्रता सेवा वे इनमें ः उन्होंने सहित, सेवा प उच्चतर परिवी कर ली (ख) 3 विभाग	सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता जिल्हों से अधिक से या दो वर्ष से, से जो भी कम हो, कम न हो और अपने ऐसे किनष्ठ व्यक्तियों जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता गहले ही पूरी कर ली है, अगली अणी में प्रोन्नति के लिए अपनी क्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी हो। 0% रिक्तियां यांत्रिक इंजीनियरी हो के अननुसचिवीय समूह 'ग'	निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर या मुख्य यांत्रिक इंजीनियर – अध्यक्ष; 2. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी या मुख्य कार्मिक अधिकारी-सदस्य; और 3. संबंधित क्षेत्रीय रेल या उत्पादन इकाई के महाप्रबंधक द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले किसी भी विभाग (उपरोक्त क्रम सं. 1 और 2 में	
	स्तर-6 तथा उ पांच मैट्टिक्स 1,12, सीमित (जिसमें परीक्षा	रियों में से जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में (रु. 35,400-1,12,400) उससे ऊपर के स्तर में कम से कम वर्ष की नियमित सेवा वेतन के स्तर-6 (रु. 35,400-400) और उससे ऊपर में की हो, विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में लिखित परीक्षा और मौखिक ओर सेवा के अभिलेख का ण सिम्मिलित होगा) द्वारा भरी	दिए गए अधिकारी के विभागों से भिन्न) के उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी या वरिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी स्तर के अधिकारी – सदस्य।	

[फा. सं. 2016/ई(जी)आरआर/15/2(यांत्रिक] नवीन कुमार, संयुक्त सचिव(गोपनीय)

MINISTRY OF RAILWAYS (Railway Board) NOTIFICATION

New Delhi, the 14th March, 2022

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India and in supersession of the Indian Railways, Department of Mechanical Engineering and Transportation (Power), Group 'B' posts Recruitment Rules, 1979, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Executive Mechanical Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Office) or Assistant Divisional Mechanical Engineer (in Divisions) in the Mechanical Engineering Department of the Indian Railways, namely:-

1. Short title and commencement. (1)-These rules may be called the Indian Railways, Assistant Executive Mechanical Engineer (at Zonal Headquarter and Construction Office) or Assistant Divisional Mechanical Engineer (in Divisions) Group 'B', Gazetted Recruitment Rules, 2022.

- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification and level in pay matrix.—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.-No person,
 - i. who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - ii. who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other ground for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of p	ost	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post	Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Execut Mechanical Engi (at Zonal Headqu and Construction or Assistant Division Mechanical Engi (in Divisions)	ineer uarter o Office)	518* (2022) * Subject to variation dependent on workload.	Railway Service, Group 'B', Gazetted, Non– Ministerial.	level 8 (Rs. 47600- 1,51,100).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.
Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any.		In case of recruitmedeputation or absorption or deputation and deputation and deputation made.	on, grades from wh	ich Promotio	what is its	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	Two	By promotion.	(a) 70% of the vacancies shall be filled by	Group 'B' Departmental	Consultation
applicable.	years.	(i) 70 % by	promotion through selection (which shall	Promotion Committee	with Union
		promotion	include a written Test, viva-voce and	(for considering	Public Service
		through selection;	assessment of record of service) from	promotion) consisting	Commission not
		(ii) 30% by	amongst non-ministerial Group 'C' staff of	of:	necessary.
		promotion	the Mechanical Engineering Department		
		through Limited	holding the post in level 6 (Rs. 35,400-		
		Departmental	1,12,400) and above in pay matrix with		
		Competitive	three years regular service in level 6 (Rs.	1.Principal Chief	
		Examination.	35,400-1,12,400) and above in the pay	Mechanical Engineer or	
			matrix.	Chief Mechanical	
			Note: Where juniors who have completed	Engineer of the	
			their qualifying or eligibility service are	concerned Zonal	
			being considered for promotion, their	Railway or Production	
			seniors would also be considered provided	Unit - Chairman;	
			they are not short of the requisite qualifying	2.Principal Chief	

[F. No. 2016/E(G)RR/15/2 (Mech.)] NAVIN KUMAR, Jt. Secy. (Confidential)